

मुन्तकिली प्रकरण सं० 46/2017 अनवानी नक्षत्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 ओ बालूवाला तहसील श्रीकरनपुर बनाम 1-गुरजंट सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 ओ बालूवाला तहसील श्रीकरनपुर 2-गुरमीत कौर पुत्री लाल सिंह 3- उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर



A3

25.07.2017


प्रार्थी के अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह पस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी नक्षत्र सिंह द्वारा पूर्व में एक अन्य मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 107/2016 अनवानी नक्षत्र सिंह बनाम गुरजंट सिंह आदि प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें आज दिनांक 25.07.2017 को प्रार्थी के अभिभाषक को सुना जाकर गुण दोष के आधार पर मुन्तकिली प्रा० पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये जा चुके है।

यह मुन्तकिली प्रा० पत्र दिनांक 08.05.17 भी पूर्व मुकदमा मुन्तकिली प्रकरण संख्या 107/2016 में अंकित वाद सं० 136/2012 व स्थगन प्रा० पत्र सं० 106/2012 में पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाब होने का आरोप लगाते हुए अन्यत्र मुन्तकिल करणे की प्रार्थना के साथ पेश किया है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए जो राजनैतिक दबाब का आरोप पीठासीन अधिकारी पर लगाया गया है वह साधारण प्रकृति का है। ऐसा आरोप कोई भी कभी भी किसी पर लगा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका पूर्णतया अभाव है। इसलिए प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

1521
03/08/2017

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुकदमा मुन्तकिली प्रा० पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर